

राज्य कौशल विकास निधि (SSDF): एक समग्र एवं विस्तृत परिचय

राज्य कौशल विकास निधि (State Skill Development Fund – SSDF) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित वित्तीय तंत्र है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) को वित्तीय सुदृढता प्रदान करना है। इस निधि के माध्यम से राज्य के युवाओं को उनकी स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

जहाँ केंद्र सरकार की योजनाएँ (जैसे PMKVY) निर्धारित दिशानिर्देशों एवं सीमाओं में संचालित होती हैं, वहीं SSDF राज्य सरकार को यह लचीलापन प्रदान करता है कि वह उन युवाओं तक भी कौशल प्रशिक्षण पहुँचा सके जो किसी कारणवश केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो पाते।

1. उद्देश्य एवं विज़न

SSDF का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी को कुशल, सक्षम एवं रोजगारोन्मुख मानव संसाधन में परिवर्तित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **सार्वभौमिक पहुँच:** उन युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जो केंद्रीय योजनाओं की प्राथमिक श्रेणियों में सम्मिलित नहीं हैं।
- **लक्ष्य पूर्ति हेतु टॉप-अप:** केंद्रीय आवंटन अपर्याप्त होने की स्थिति में राज्य के कौशल लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **स्थानीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण:** उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) जैसी पहलों के अनुरूप स्थानीय उद्योगों, कारीगरों एवं उद्यमों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना।

2. पात्रता एवं लाभार्थी वर्ग

SSDF योजना समावेशी विकास की अवधारणा पर आधारित है तथा राज्य के जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है:

- **आयु सीमा:** मुख्यतः 14 से 35 वर्ष के युवा।
- **निवास:** लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
- **शैक्षिक योग्यता:** कक्षा 5 के बाद विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों से लेकर बेरोजगार स्नातकों तक सभी पात्र।